संख्या- 16/2026/I/1236276/2026/File No.65-2013(099)/2/2020

प्रेषक,

राकेश कुमार यादव,

संयुक्त सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,

दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग, उ0प्र0,

इन्दिरा भवन, लखनऊ।

दिव्यांगजन सशक्तीकरण अनुभाग-2 लखनऊ: दिनांक 12 फरवरी, 2026

विषय:-जनपद-मेरठ में नवीन संकेत जूनियर हाई स्कूल (आवासीय) के निर्माण कार्य हेतु अवशेष धनराशि अवमुक्त करने के संबंध में (अन्तिम किस्त)।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-4339/दि0ज0स0वि0/निर्माण/संकेत-मेरठ/2025-26 दिनांक 02.02.2026 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें, जिसमें जनपद-मेरठ में नवीन संकेत जूनियर हाई स्कूल (आवासीय) के निर्माण कार्य हेतु कुल स्वीकृत लागत के सापेक्ष 5 प्रतिशत की अवशेष धनराशि रू0 72.28 लाख को अवमुक्त किये जाने के संबंध में आवश्यक कार्यवाही कराने का अनुरोध किया गया है।

2. अवगत कराना है कि नवीन संकेत जूनियर हाई स्कूल (आवासीय) विद्यालय, ग्राम-बराल, परतापुर, मेरठ के निर्माण कार्य हेतु वित्तीय वर्ष 2022-23 में शासनादेश संख्या-68/2022/I/186514/2022/File No.65-2013(099)/2/2020 दिनांक 06.07.2022 द्वारा रू0 1445.53 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति सहित इस कार्य हेतु प्रथम किस्त के रूप में रू0 100.00 लाख की धनराशि अवमुक्त की गयी है। शासनादेश दिनांक 26 जुलाई, 2023 द्वारा द्वितीय किस्त के रूप में रू0 200.00 लाख, शासनादेश दिनांक 28 दिसम्बर, 2023 द्वारा तृतीय किस्त के रूप में पुनर्विनियोग के माध्यम से रू0 600.00 लाख, शासनादेश दिनांक 24 जुलाई, 2024 द्वारा चतुर्थ किस्त के रूप में रू0 400.00 लाख तथा शासनादेश दिनांक 29 मार्च, 2025 द्वारा पाचवीं किस्त के रूप में रू0 73.25 लाख की वित्तीय स्वीकृति निर्गत की गयी है। साथ ही शासनादेश दिनांक 14 जुलाई, 2025 द्वारा जनपद-मेरठ में नवीन संकेत जूनियर हाई स्कूल (आवासीय) के निर्माण कार्य हेतु जी0एस0टी0 मद में बढ़ी हुई धनराशि रू0 68.63 लाख की वित्तीय स्वीकृति निर्गत की गयी।

3. उपरोक्त के अनुक्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि **वित्तीय वर्ष 2025-26 में जनपद-मेरठ में नवीन संकेत जूनियर हाई स्कूल (आवासीय) के निर्माण कार्य हेतु** 05 प्रति की अवशेष धनराशि रू0 72.28 लाख (रू0 बहत्तर लाख अट्ठाइस हजार मात्र) **की वित्तीय स्वीकृति निर्गत कर** व्यय किये जाने हेतु आपके निवर्तन पर रखे जाने की राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति निम्न शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करते हैं:-

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(i) प्रश्नगत कार्य हेतु धनराशि राज्य बजट से स्वीकृत की जा रही है। अवमुक्त धनराशि का आहरण दो माह की आवश्यकतानुसार किश्तों में किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि के आहरण एवं व्यय में वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों, समय-समय पर निर्गत शासनादेशों/आदेशों एवं योजना से संबंधित राज्य सरकार की गाईडलाइन्स का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(ii) योजना हेतु स्वीकृत की जा रही धनराशि को पी0एल0ए0/बैंक खाते इत्यादि में नहीं रखा जायेगा।

(iii) धनराशि की स्वीकृति/आहरण एवं अन्य कार्यवाहियां वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025, दिनांक 27 मार्च, 2025 में दी गयी शर्तों एवं प्रतिबन्धों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(iv) प्रायोजनान्तर्गत सम्मिलित जी0एस0टी0 आदि की गणना की शुद्धता एवं नियमानुसार भुगतान किये जाने का पूर्ण दायित्व निदेशक, दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग, उ0प्र0 एवं कार्यदायी संस्था का होगा।

(v) कार्य की गुणवत्ता, मानक एवं विशिष्टियों का समस्त दायित्व निदेशक, दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग, उ0प्र0 एवं कार्यदायी संस्था का होगा तथा समय-समय पर सम्पादित कराये जा रहे निर्माण कार्यों की मानीटरिंग भी की जायेगी।

(vi) यह सुनिश्चित किये जाने का दायित्व निदेशक, दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग, उ0प्र0 एवं कार्यदायी संस्था का होगा कि प्रश्नगत कार्य किसी अन्य कार्य योजना में शामिल नहीं है तथा इस हेतु पूर्व में किसी अन्य योजना/स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है।

(vii) कार्यदायी संस्था द्वारा आगणन में अनुमोदित सीमा तक ही सेंटेज चार्ज लिया जायेगा तथा आगणन में वर्णित लेबर सेस की कुल धनराशि इस शर्त के अधीन होगी कि श्रम विभाग को उक्त धनराशि का भुगतान किया जायेगा।

(viii) प्रायोजना लागत में टाइम ओवर रन/कास्ट ओवर रन न हो। इस संबंध में शासन द्वारा निर्गत दिशा-निर्देश एवं बजट मैनुअल के प्रस्तर-212 में दिये गये निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण दायित्व निदेशक, दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग, उ0प्र0 एवं कार्यदायी संस्था का होगा।

(ix) यह अनिवार्य रूप से सुनिश्चित किये जाने का समस्त दायित्व निदेशक, दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग, उ0प्र0 एवं कार्यदायी संस्था का होगा कि कार्यों की गुणवत्ता उच्च कोटि की हो। कार्य की गुणवत्ता नियमित रूप से परीक्षित कर उसकी रिपोर्ट एवं कार्य की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति की पाक्षिक रिपोर्ट सक्षम प्राधिकारी से प्रतिहस्ताक्षरित कराते हुये शासन को उपलब्ध कराने का समस्त दायित्व निदेशक, दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग, उ0प्र0 का होगा। कार्य को शीघ्र पूर्ण कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

(x) प्रश्नगत वित्तीय स्वीकृति जिस कार्य/मद के लिये की जा रही, उसका उपयोग नियमानुसार उसी कार्य/मद हेतु किये जाने का समस्त दायित्व निदेशक, दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग, उ0प्र0 एवं कार्यदायी संस्था का होगा। साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जाये कि स्वीकृति के संबंध में किये जाने वाले आहरण एवं व्यय

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों एवं शासन द्वारा समय-समय पर निर्गत शासनादेशों के अनुरूप हों।

(xi) निष्प्रयोज्य होने वाले उपकरणों/सामग्री से प्राप्त धनराशि राजकोष में जमा करना निदेशक, दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग, उ0प्र0 एवं कार्यदायी संस्था द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

(xii) व्यय की गयी धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र शासन को उपलब्ध कराने का पूर्ण दायित्व निदेशक, दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग, उ0प्र0 एवं कार्यदायी संस्था का होगा।

(xiii) कार्यदायी संस्था द्वारा शासकीय धन पर यदि ब्याज आर्जित किया जाता है तो उसे राजकोष में जमा कराना सुनिश्चित किया जायेगा।

(xiv) वित्त विभाग के शासनादेशों एवं इस शासनादेश में उल्लिखित शर्तों का अनुपालन निदेशक, दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग, उ0प्र0 एवं निदेशालय में तैनात वित्त नियंत्रक/लेखाधिकारी/वित्तीय सलाहकार द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

(xv) प्रश्नगत स्वीकृति मानक के संबंध में निदेशक, दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर दी जा रही है, यदि मानक के संबंध में कोई सूचना गलत पायी जाती है तो इसका पूर्ण दायित्व निदेशक, दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग, उ0प्र0 एवं कार्यदायी संस्था का होगा।

(xvi) बजट प्राविधान के सापेक्ष धनराशि की उपलब्धता का दायित्व निदेशक, दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग का होगा एवं वित्तीय स्वीकृति का आदेश बजट प्राविधान के सापेक्ष अवशेष धनराशि की उपलब्धता की स्थिति में ही निर्गत किया जायेगा।

(xvii) निदेशक, दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग, उ0प्र0 एवं कार्यदायी संस्था का दायित्व होगा कि परियोजना हेतु देय वास्तविक जी0एस0टी0 की धनराशि का आगणन वर्क डन एवं वर्क टू बी डन के आधार पर कर लेंगे।

(xviii). योजनान्तर्गत बाटआउटस आइटम्स की श्रेणी से आच्छादित कार्यों हेतु कार्यदायी संस्था को कोई भी सेन्टेज चार्ज देय नहीं होगा।

(xix). शासनादेश संख्या-71/2025/I/1023651/2025/File No.65-2013(099)/2/2020 दिनांक 14 जुलाई, 2025 की शेष शर्तें यथावत रहेंगी।

4. उपर्युक्त निर्माण कार्य पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-79 के लेखाशीर्ष 4235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय-02-समाज कल्याण-101-विकलांग व्यक्तियों का कल्याण-33-मूक-बधिर छात्र/छात्राओं हेतु ''संकेत जूनियर हाईस्कूल'' की स्थापना-24-वृहत् निर्माण कार्य मद के नामे डाला जायेगा।

5. यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025, दिनांक 27 मार्च, 2025 में विहित प्रावधानों एवं प्रदत्त अधिकारों के अन्तर्गत जारी किये जा रहे हैं।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

भवदीय,

राकेश कुमार यादव
संयुक्त सचिव।

संख्या/दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार-लेखा एवं हकदारी प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, मेरठ।
4. प्रबन्ध निदेशक, कन्स्ट्रक्शन एण्ड डिजाइन सर्विसेज, उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ।
5. जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी, मेरठ।
6. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-4/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/राज्य योजना आयोग-1।
7. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

राकेश कुमार यादव
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।